भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या– 112

उत्तर देने की तारीख– 21.07.2025

राजस्थान में पीएम-श्री योजना का कार्यान्वयन

112. **श्रीमती संजना जाटव:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार "प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया" (पीएम-श्री) योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि राजस्थान सरकार ने उक्त योजना का कार्यान्वयन नहीं किया है; और

(ङ) क्या सरकार का राजस्थान के भरतपुर जिले में उक्त योजना का कार्यान्वयन करने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना और समय के साथ आदर्श स्कूलों के रूप में उभरना, साथ ही पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। वे एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने हेतु अपने संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करते हैं जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखता है और उन्हें एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है।

पीएम श्री योजना के अंतर्गत पारदर्शी चुनौती पद्धति के माध्यम से केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी के साथ 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 13,076 स्कूलों का चयन किया गया है।

पीएम श्री योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. गुणवत्ता और नवाचार (शिक्षण संवर्द्धन कार्यक्रम, समग्र प्रगति कार्ड, नवीन शिक्षण पद्धतियां, बस्ता रहित दिवस, स्थानीय कारीगरों के साथ प्रशिक्षुतावृत्ति, क्षमता निर्माण आदि)।
2. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी उन्मुख पात्रताएं।
3. वार्षिक स्कूल अनुदान (समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, खेल अनुदान)।
4. बालवाटिका और आधारभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान सहित प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा।
5. समता और समावेशन जिसमें बालिकाओं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए सुरक्षित और उचित बुनियादी ढांचे का प्रावधान शामिल है।
6. विद्यार्थियों को विषयों के चयन में छूट को प्रोत्साहित करना।
7. शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकीय पहलों का उपयोग करते हुए शिक्षण के माध्यम के रूप में मातृभाषा को प्रोत्साहित करना।
8. डिजिटल शिक्षणशास्त्र के उपयोग के लिए आईसीटी, स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय।
9. मौजूदा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना।
10. व्यावसायिक मध्यवर्तनों और विशेष रूप से स्थानीय उद्योग के साथ प्रशिक्षुतावृति /उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाना। विकास परियोजनाओं/निकटवर्ती उद्योग के साथ कौशल की मैपिंग करना और तदनुसार पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या विकसित करना।

(ग): वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केवीएस/एनवीएस को पीएम श्री योजना के अंतर्गत दी गई कुल निधियां **अनुलग्नक I** के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ): पीएम श्री योजना राजस्थान राज्य में क्रियान्वित की जा रही है और राजस्थान राज्य से कुल 639 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें से 16 प्राथमिक स्कूल, 123 प्रारंभिक स्कूल, 18 माध्यमिक स्कूल और 482 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हैं।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में कुल 15 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है, जिनमें से 4 प्रारंभिक स्कूल और 11 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हैं।

*****

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्रीमती संजना जाटव द्वारा "राजस्थान में पीएम-श्री योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को पूछा जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 112 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम श्री योजना के तहत संवितरित निधियों का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केवीएस/एनवीएस**	**वित्त वर्ष 2023-24 में जारी केंद्रीय भाग**	**वित्त वर्ष 2024-25 में जारी केंद्रीय भाग**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.56	2.83
2	आंध्र प्रदेश	106.46	294.12
3	अरुणाचल प्रदेश	4.21	33.87
4	असम	57.36	142.35
5	चंडीगढ़	0.64	1.25
6	छत्तीसगढ़	19.73	37.35
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.65	1.01
8	गोवा	3.25	4.63
9	गुजरात	32.95	63.58
10	हिमाचल प्रदेश	एनए	135.35
11	हरियाणा	25.59	56.09
12	जम्मू और कश्मीर	52.39	99.72
13	झारखंड	एनए	38.80
14	कर्नाटक	26.4	62.78
15	लद्दाख	4.04	11.91
16	लक्षद्वीप	1.09	0.72
17	मध्य प्रदेश	44.52	145.32
18	महाराष्ट्र	63.42	226.14
19	मणिपुर	17.63	37.82
20	मेघालय	4.29	20.08
21	मिजोरम	4.12	4.96
22	नगालैंड	0.97	5.44
23	ओडिशा	एनए	130.50
24	पुदुचेरी	2.05	2.99
25	पंजाब	एनए	94.25
26	राजस्थान	24.6	118.69
27	सिक्किम	10.18	15.10
28	तेलंगाना	59.82	342.09
29	त्रिपुरा	11.8	38.45
30	उत्तराखंड	57.41	58.60
31	उत्तर प्रदेश	121.49	246.86
32	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	295.35	656.28
33	नवोदय विद्यालय समिति	162.74	441.03
	कुल	**1216.7**	**3571.00**

नोट: एनए- उन राज्यों को दर्शाता है जिन्होंने इस योजना को अपनाया नहीं था।